अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 80, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 10 मई, 2005

No. 80, Port Blair, Tuesday, May 10, 2005

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय

SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 10th May, 2005

No. 77/2005/F. No. 3-359/2003-Labour.—WHEREAS a conciliation proceeding initiated by the Conciliation Officer/ALC, Port Blair, between the Management of Superintending Engineer, Electricity Department, Port Blair and its workman Shri Binoy Baroi, S/o Shri Rajendra Baroi, Ex-DRM over the alleged illegal termination of service had failed.

AND WHEREAS the Conciliation Officer had forwarded a failure report on the conciliation proceedings vide No. ID/02/2002/ALC-II/510 dated 5-3-2003 to Government recommending to refer the case to Labour court for adjudication under sub-section (4) of Section 12 of the Industrial Disputes Act 1947, (Act No. 14 of 1947).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 10 read with sub-section (5) of Section 12 and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) read with the Notification No. LR-1 (59)/ 55 dated 13th December, 1955 of the Government of India, Ministry of Labour, the Lieutenant Governor, A&N Islands, after consideration of the report orders to refer the said dispute, in the following schedule of reference, to the Labour Court, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, for adjudication and submission of award within a period of three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE OF REFERENCE

"Whether the action of the Superintending Engineer, Electricity Department in terminating service of Shri Binoy Baroi, a daily reted mazdoor is legal and justified? If not what relief the concerned workman is entitled to?"

By order of the Lieutenant Governor,

Sd/-
(M. K. Kunhi Mohammed),
Assistant Secretary (Labour).

MGPPB—80/Gazette/2005 — 50 Copies (80-Gazette-05 SAR)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 80, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 10 मई, 2005

No. 80, Port Blair, Tuesday, May 10, 2005

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 10 मई, 2005.

सं. 77/2005/फा.सं. 3-359/2003/श्रम.—चूंकि सुलह अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, पोर्ट ब्लेयर द्वारा अधीक्षक अभियंता (विद्युत विभाग), पोर्ट ब्लेयर के प्रबंधन और उसके कामगार श्री बिनोय बरोई, सुपुत्र श्री राजेन्द्र बरोई, पूर्व दिहाड़ी मजदूर के बीच कथित रूप से उसको गैर कानूनी ढंग से सेवा समाप्त करने के मामले में शुरू की गई सुलह कार्यवाही असफल हो गई थी।

और चूंकि सुलह अधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की अधिसूचना सं. 14) की धारा 12 की उप धारा (4) के तहत न्यायनिर्णय के लिए श्रम न्यायालय में इस मामले को भेजने हेतु सिफारिश करते हुए दिनांक 5.3.2003 की सं. आई. डी./02/2002/स.श्र.आ.-11/510 के अनुसार सरकार को सुलह कार्यवाही पर विफलता का रिपोर्ट प्रेषित किया था ।

अत: अब भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के दिनांक 13 दिसम्बर, 1955 की अधिसूचना सं. एल. आर-1(59)/55 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की अधिसूचना सं. 14) की धारा 12 की उप धारा (5) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (1) तथा धारा 10 की उप धारा (2-ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर न्यायनिर्णय प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित संदर्भ अनुसूची में उक्त विवाद को श्रम न्यायालय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर में भेजने का आदेश देते हैं ।

संदर्भ अनुसूची

''क्या अधीक्षक अभियंता, विद्युत विभाग द्वारा श्री बिनोय बरोई, दिहाड़ी मजदूर की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई वैध और न्यायसंगत है? यदि नहीं, तो वह कामगार किस राहत का हकदार है?''

उप राज्यपाल के आदेश से

ह/-

(एम. के. कुन्ही मोहम्मद)

सहायक सचिव(श्रम)